<u>एफ0 आर0 वाद सं0– 33/2019</u>

अ0सं0–190/18
थाना–ठाकुरद्वारा

<u>13.05.2019</u>

एफ आर वाद पुकारा गया। वादी मुकदमा मय अधिवक्ता उपस्थित।, मु0अ0सं0–190/2018 अन्तर्गत धारा–452,323,504,498ए भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना–ठाकुरद्वारा के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या 219/18 पर वादी मुकदमा का कथन है कि विवेचक द्वारा मुल्जिमान से हमसाज होकर, तथा अभियुक्तगण को अनुचित लाभ पहुॅचाने की गरज से गलत तरीके से प्रस्तुत मामले में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है।

विवेचक ने प्रेषित अंतिम आख्या में यह कथन किया है कि तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, कॉल डिटेल व अन्य दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर उक्त अभियोग में किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया। अब तक की तमामी विवेचना से मात्र पति पत्नि की विचारधाराओ को लेकर मामूली कहा सुनी का होना पाया गया है। अतः साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग चलाने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। जबकि वादी मुकदमा का कथन है कि विवेचक द्वारा मुल्जिमान से हमसाज होकर, तथा अभियुक्तगण को अनुचित लाभ पहुॅचाने की गरज से गलत तरीके से प्रस्तुत मामले में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

, प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.04.2019 स्वीकार किया जाता है विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या 219/18 निरस्त की जाती है। मामला परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा– 200दं0प्र0सं0 दिनांक को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से यह तथ्य विदित हुआ कि प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने भलीभांति जानकारी होने के बावजूद भी खलील अहमद ने आपत्तिकर्ता के हक में हुए खलील अहमद पुत्र रशीद ने आपत्तिकर्ता के हक में हुए प्रश्नगत बैनामे के बाद उपरोक्त आराजी का कथित बैनामा आराजी को गैर कानूनी रूप से हड़पने की नियत से धोखा धड़ी से विक्रेता अब्दुल रहमान से रजिस्ट्री कराकर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम तथ्य छिपाकर व गुमराह करके अंकित करा लिया। प्रार्थनापत्र के साथ वादी गुलाम साबिर का शपथपत्र भी संलग्न है। पत्रावली के सम्पूर्ण परिशीलन एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले में अग्रिम विवेचना कराया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

, प्रस्तुत एफ0आर0 वाद सं0–236/18 अपराध सं0–282/18 अन्तर्गत धारा–420,467,468,471,323,504,506 भा0द0सं0 थाना–ठाकुरद्वारा के प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या सख्या 139/18 निरस्त की जाती है। थानाध्यक्ष ठाकुरद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि वह मामले में नियमानुसार अग्रिम विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करे और विवेचना के उपरान्त अपनी आख्या न्यायालय में तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा